UPMO010026402026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश**,** कक्ष संख्या-**1,** मुरादाबाद

पीठासीन अधिकारी- (अंजना)**, (उच्चतर न्यायिक सेवा) - UP06138**

<u>प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं0–790/2026</u>

खालिद पुत्र बाबू, निवासी–ग्राम मिलक बूजपुर आशा, थाना मूंढापण्डे, ज़िला–मुरादाबाद।

.....आवेदक/अभियुक्त।

<u>बनाम</u>

उत्तर प्रदेश राज्य

.....वादी/अभियोजन पक्ष।

मु0अ0सं0–398/2025
धारा–318(4),338,336(3),340(2)बी0एन0एस0
थाना–मूंढापाण्डे, जिला मुरादाबाद।

<u>02.04.2026</u>

1– प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र, आवेदक/अभियुक्त खालिद की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–398/2025, धारा–318(4), 338, 336(3), 340(2) बी०एन०एस०, थाना–मूंढापाण्डे, जिला–मुरादाबाद के सम्बंध में अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– शपथपत्र समर्थित अग्रिम जमानत प्रार्थना में यह उल्लिखित किया गया है कि प्रार्थी का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है तथा इसके अतिरिक्त किसी भी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन नहीं है और किसी न्यायालय से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त नहीं हुआ है।

3– संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि, वादी मुकदमा अमित कुमार द्वारा संबंधित थाना पर दिनांक 01–09–2025 को इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि, प्रार्थी 245, ब्राहमण मौहल्ला, ग्राम सभापुर थाना सोनिया विहार, दिल्ली–94 का रहने वाला है। प्रार्थी ट्रेडिंग का कार्य करता है। प्रार्थी ने दिनांक 06–08–2025 को जाने आलम पुत्र भूरा, निवासी ग्राम दौलरा, पोस्ट दौलरी, थाना मूंडापाण्डे, जिला मुरादाबाद से 2100 किलो वायर (कॉपर पीवीसी बायर) खरीदा था। जिसकी कीमत प्रार्थी में उपरोक्त जाने आलम को 8,10,000/– रूपये (आठ लाख दस हजार रुपये) अदा की थी, परन्तु जब प्रार्थी ने वायर को चैक किया तो उसमें ऊपर से पीवीसी तथा अन्दर से सीमेन्ट व बजरी भरा हुआ था, कॉपर का नामोनिशान भी नहीं था। जब प्रार्थी ने इस बारे में उपरोक्त जाने आलम से शिकायत करनी चाही तो उसने अपना मोबाईल बन्द कर दिया। प्रार्थी के साथ उपरोक्त जाने आलम ने धोखा किया है तथा प्रार्थी के 8,10,000/– रूपये भी

Digitally signed by ANJANA
Date: 2026.04.02 17:26:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

गबन कर लिये हैं और फरार हो गया है। अब प्रार्थी न्याय की आशा लेकर श्रीमान जी की शरण में आया है। प्रार्थी एक ईमानदार व नेक इंसान है तथा ईमानदारी से अपने परिवार का भरण–पोषण करता है। तदनुसार सह–अभियुक्त जाने आलम के विरुद्ध मुकदमा अन्तर्गत धारा–318(4) बी.एन.एस. पंजीकृत हुआ। दौरान विवेचना प्रार्थी/अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया तथा मामले में धारा–338, 336(3) व 340(2) बी0एन0एस0 की वृद्धि की गयी है।

4– प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र एवं उसके साथ संलग्न शपथ पत्र में उल्लिखित तथ्यों का समर्थन करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि, प्रार्थी को उपरोक्त केस में रंजिश के आधार पर झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी निर्दोष है। घटना दिनांक 06.08.2025 की बतायी गयी है जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 01.09.2025 को समय 23:37 बजे दर्ज करायी गयी है जो कि 25 दिन देरी से लिखायी गयी है। विलम्ब का कोई स्पष्ट कारण नहीं दर्शाया गया है। प्रार्थी प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी का नाम अंकित नहीं है। प्रार्थी का उक्त केस की घटना से कोई ताल्लुक एंव वास्ता नहीं है जैसा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। प्रार्थी नामजद अभियुक्त नहीं है। प्रार्थी का नाम उपरोक्त मुकदमें में सहअभियुक्त जाने आलम के बयानों के आधार पर दौराने विवेचना प्रकाश में आया है। प्रार्थी ने वादी के साथ किसी प्रकार की कोई धोखाधड़ी नहीं की है और न ही (कापर पी.वी.सी. वायर) देने में कोई गडबडी की है जैसा तार कम्पनी से आता है वैसा तार वादी को दिया गया है। प्रार्थी का नाम रंजिश बताया गया है और विवेचना के दौरान झूठा खोला गया है जबकि घटना का कोई स्वतन्त्र या चश्मदीद गवाह नहीं है। इससे स्पष्ट है कि घटना झूठी दर्शायी गयी है। उक्त केस की विवेचना से स्पष्ट होता है कि विवेचना मिथ्या कथनों के आधार पर आधारित है जो संदिग्ध प्रतीत होती है। उक्त अपराध मजिस्ट्रेट ट्रायल है, जो 7 वर्ष की सजा के अन्तर्गत आता है। प्रार्थी मेहनत मजदूरी करके अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता है। प्रार्थी जमानत के बाद जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। बल्कि ट्रायल में सहयोग करेगा। प्रार्थी ने अवर न्यायालय में वांछित आख्या हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था तब प्रार्थी को पता चला कि प्रार्थी को उक्त केस में अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी का प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त किसी भी न्यायालय अथवा मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन नहीं है और किसी न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त नहीं हुआ है। अपराध की प्रकृति गम्भीर किस्म की नहीं है बल्कि झूठे तथ्यों के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। प्रार्थी का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है और न ही प्रार्थी अन्य केस में वांछित है तथा न ही किसी अपराध में सजा किसी न्यायालय द्वारा हुई है। प्रार्थी के विरूद्ध झूठे तथ्यो के आधार पर विवेचना में नाम प्रकाश में आया है जिसमें कोई सत्यता नहीं है। प्रार्थी इस बात का आश्वासन देता है कि विवेचनाधिकारी अथवा माननीय न्यायालय द्वारा जब भी प्रार्थी को जहां तलव किया जायेगा, प्रार्थी उपस्थित रहेगा। प्रार्थी इस बात का अण्डरटेकिंग देता है कि प्रार्थी किसी तरह से भी प्रदर्शिता या अप्रदर्शिता किसी भी व्यक्ति को जो मुकदमें से संबंधित हो दबाव या धौंस नहीं डालेगा या किसी भी व्यक्ति को जो मुकदमें की सत्यता से संबंधित हो कोई दबाव किसी तरह का नहीं

डालेगा। प्रार्थी बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के भारत राष्ट्र से बाहर नहीं जायेगा। प्रार्थी को जो भी जमानती आदेश में शर्ते दी जायेगीं उनका पूर्णतया पालन करेगा। प्रार्थी द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र की कानूनी आवश्यक शर्तों को पूरा करने के लिये प्रार्थना पत्र के साथ शपथपत्र दाखिल किया जा रहा है। माननीय न्यायालय उपरोक्त को प्रार्थी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सुनने का अधिकार क्षेत्र है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये मुकदमा उपरोक्त में प्रार्थी को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध किया गया है।

6– अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि, प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर कूटरिचत प्रपत्रों के आधार पर वादी मुकदमा के साथ छल करके उसे कॉपर पी०वी०सी० वायर के स्थान पर अन्दर सीमेन्ट व बजरी भरा हुआ पी०वी०सी० वायर बेचकर रू0 8,10,000/– रूपये प्राप्त करके हड़प लिये जाने का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उसे उक्त मुकदमें में झूठा व रंजिशन फंसाया जाना तथा स्वयं को निर्दोष होना कहा गया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादी ने दिनांक 06–08–2025 को सह–अभियुक्त जाने आलम पुत्र भूरा, निवासी ग्राम दौलरा, पोस्ट दौलरी, थाना मूंढापाण्डे, जिला मुरादाबाद से 2100 किलो वायर (कॉपर पी.वी.सी. वायर) खरीदा था, जिसकी कीमत वादी ने उपरोक्त जाने आलम को 8,10,000/– रूपये अदा की थी, परन्तु जब वादी ने वायर को चैक किया तो उसमें ऊपर से पी.वी.सी. तथा अन्दर से सीमेन्ट व बजरी भरा हुआ था, कॉपर का नामोनिशान भी नहीं था। वादी ने इस बारे में उपरोक्त जाने आलम से शिकायत करनी चाही तो उसने अपना मोबाईल बन्द कर दिया।'' विवेचक द्वारा विवेचना उपरांत सह–अभियुक्तगण जाने आलम आदि के विरूद्ध अपराध कारित किये जाने का पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए उनके विरूद्ध आरोप पत्र सक्षम न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है जिस पर सक्षम न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जा चुका है, जबकि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध गिरफतारी का प्रयास करते हुए उसकी पतारसी, सुरागरसी जारी रखते हुए विवेचना प्रचलित है। केस डायरी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उक्त में प्रार्थी/अभियुक्त की तलाश हेतु उसके मसकन व मिलने के संभावित स्थानों पर तलाश व दबिश दिये जाने के बावजूद उसका दस्त्याब न होना एवं फरार चलना उल्लिखित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा विवेचना में सहयोग नहीं किया जा रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने से साक्ष्य प्रभावित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का एवं आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध से संबंधित है। अतः उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में मामले के गुण–दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, न्यायालय की

राय में प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम ज़मानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त खालिद द्वारा प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक– 02–04–2026

(अंजना)
(आई0डी0 नं0 यू0पी0 6138)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0 01,
मुरादाबाद।